

— / / 01 / / —

आपराधिक प्र.क्र.: 1052 / 2014

**न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)**

**(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)**

आपराधिक प्र.क्र.: 1052 / 2014

संस्थित दि: 12 / 11 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

**विरुद्ध**

प्रेमलाल पिता गन्नु उइके, उम्र 35 साल, जाति गोंड,  
निवासी ग्राम चालीसबोडी चौकी सोनेवानी थाना रूपझर,  
जिला बालाघाट(म.प्र.)

— — — — — आरोपी

**—:: उर्पापण — आदेश ::—**

**(आज दिनांक 26 / 11 / 2014 को उपापित किया गया)**

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा मे है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी जोहरसिंह ने दिनांक 23.09.2014 को चौकी सोनेवानी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 22.09.2014 को चालीसबोडी बाजार गया था। शाम को उसके बहनोई प्रेमलाल उइके ग्राम चालीसबोडी के घर पर रुका था खाना पीना खाकर सो गया था बहनोई प्रेमलाल गांव में दुर्गा समिति की बैठक में चला गया था जो रात्रि के करीब 11:00 बजे घर आया और प्रेमलाल उससे बोलने लगा कि उसके मना करने के बाद भी वह घर पर क्यों आया। इसी बात को लेकर बहनोई ने उसे जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी से मारा, जिससे उसे गाल पर चोट लगी और खून बहने लगा। वह घबरा कर बहार निकला उसी समय पीछे से दाहिने पांव व पीठ पर मिट्टी तेल डाल दिया और आग लगा दिया तो उसने बचाव-बचाव की आवाज लगाई, जिसे सुनकर पड़ोसियों ने शरीर पर लगी आग को बुझाया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी प्रेमलाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0 / 14 अन्तर्गत धारा 307 की कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जिस पर थाना रूपझर की पुलिस के द्वारा आरोपी प्रेमलाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 108 / 14 अन्तर्गत धारा 307 भा.दं.वि. के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत

किया।

(04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया।

(05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धारा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(08) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 10.12.2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

(09) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अन्तिम प्रतिवेदन में दर्शाये अनुसार एफ.एस.एल सागर भेजा जाना दर्शित है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर  
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट